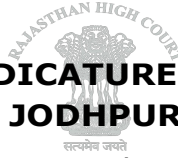




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 4937/2026

Bhawar Lal S/o Mangu Choudhary, Aged About 49 Years,
Resident Of Lambiya Kala, Police Station Rayla, District Bhilwara
Raj..

(At Present Lodged In Central Jail, Bhilwara)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Vikash K Bishnoi
For Respondent(s) : Mr. Prem Singh Panwar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT
Order

24/04/2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना रायला, जिला भीलवाड़ा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 02/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 103(1), 61(2) भारतीय न्याय संहिता के मामले में प्रस्तुत हुआ है।
2. मैंने बहस जमानत आवेदन पत्र पर सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि इस मामले में घटना के समय प्रार्थी/अभियुक्त मौजूद नहीं होना पुलिस के चालान से ही स्पष्ट है, केवल मात्र मृतक व प्रार्थी/अभियुक्त का पारिवारिक विवाद होने की वजह से इस मामले में प्रार्थी/अभियुक्त को अपराध में संलिप्त किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का भाणजा सह-अभियुक्तगण के साथ घटना के समय मौजूद था और उसके द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त को घटना की सूचना दिए जाने और प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा पुलिस को इस बात की सूचना नहीं दिए जाने के आधार पर इस मामले में प्रार्थी/अभियुक्त को अपराध में संलिप्त किया गया है। इस मामले में पुलिस की तफ्तीश में वाहन का चालक सह-अभियुक्त कमलेश का होना बताया गया है और वाहन भी सह-अभियुक्त कमलेश के नाम से पंजीबद्ध है। इस मामले में चालान पेश हो चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 15.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः इस आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।



4. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि इस मामले में मुख्य रूप से मोटिव प्रार्थी/अभियुक्त के पास ही था और प्रार्थी/अभियुक्त के कहने से ही इस घटना को प्रार्थी/अभियुक्त के भाणजे व सह-अभियुक्त द्वारा अंजाम दिया गया है। अतः इस आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

5. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त का घटना के समय मौजूद होना अंकित नहीं है और पुलिस की तफ्तीश के पश्चात् जो चालान पेश हुआ है, उसमें भी घटना के समय प्रार्थी/अभियुक्त भंवरलाल का मौके पर मौजूद होना नहीं बताया गया है, केवल अभियुक्त भंवरलाल व मृतक के मध्य आपसी जमीन की रंजिश होना पुलिस द्वारा तफ्तीश में पाया गया है और अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है कि हत्या करने के बाद सत्यनारायण जाट घटना के तुरंत बाद उक्त घटनाक्रम की जानकारी अपने मामा भंवरलाल जाट को फोन पर देता है और मौके से फरार हो जाता है और भंवरलाल द्वारा पुलिस को घटना की जानकारी नहीं देना और वरना गाड़ी का मालिक सह-अभियुक्त कमलेश होना और वाहन चालक भी सह-अभियुक्त कमलेश होना बताया गया है। वाहन की आर.सी. पत्रावली में संलग्न है, जो कमलेश कुमार धाकड़ के नाम से है। इस मामले में चालान पेश हो चुका है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

6. अतः इस स्टेज पर बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/अभियुक्त **भंवरलाल पुत्र मांगू**, उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J